

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-161/2016/वी0आई0पी0-121/चि0-3-16-टी0-1(42)/2016
लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप


शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-62/2016/891/चि0-3-16-टी0-1(42)/2016, दिनांक 29-04-2015 (क्रमांक-4) द्वारा डा0 बृजेश कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-2012, ले0-1), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर का जनहित में ट्रामा सेन्टर, फतेहपुर में ई0एम0ओ0 के पद पर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-161/2016/वी0आई0पी0-121(1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, फतेहपुर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर/फतेहपुर।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, फतेहपुर)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-162/2016/वी0आई0पी0-203/चि0-3-16-टी0-1(124)/2016
लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 अजय कुमार वर्मा, नेत्ररोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11582क-1, लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के अधीन नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 अजय कुमार वर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-162/2016/वी0आई0पी0-203(1)/चि0-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट/उन्नाव।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट/उन्नाव।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-163/2016/वी0आई0पी0-203 एक/चि0-3-16-टी0-1(124)/2016
लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 सूर्य प्रकाश, नेत्ररोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-10236, लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट के अधीन नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 सूर्य प्रकाश को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-163/2016/वी0आई0पी0-203 एक(1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/ आगरा मण्डल, आगरा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट/आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट/आगरा।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-164/2016/1966/चि0-3-16-टी-1(134)/2016

लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-127/2016/1746/चि0-3-16-टी-1(134)/2016, दिनांक 21-07-2016 के क्रमांक-24 पर अंकित डा0 अमित उपध्याय, बालरोग विशेषज्ञ (वरिष्ठता क्रमांक-12204, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थ नगर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर, कुशीनगर में किये गये स्थानान्तरण/समायोजन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-07-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-164/2016/1966(1)/चि0-3-16.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थ नगर/कुशीनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थ नगर/कुशीनगर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थ नगर/कुशीनगर)।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-165/2016/सी0एम0-297/चि0-3-16-टी0-1(107)/2016
लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 अखिलेश कुमार, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-11971क5, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के अधीन चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 अखिलेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।


स्वानुरोध पर किए गये स्थानान्तरण के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-165/2016/सी0एम0-297(1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ मण्डल, आजमगढ/ गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ/देवरिया।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ/देवरिया।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-166/2016/1964/चि0-3-16-टी-1(161)/2016,
लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/वरि0क्र0/लेवल/ विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 प्रवीश कुमार जैन/ 7019/ले0-3/ निश्चेतक	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद
2	डा0 प्रभाकर प्रसाद/6245/ ले0-4/आर्थोपेडिक सर्जन	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ	जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर
3	डा0 राजेश कुमार श्रीवास्तव/ 11232/लेवल-3/ निश्चेतक	जिला महिला चिकित्सालय,इलाहाबाद	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही
4	डा0 योगेन्द्र गुप्ता/7991/ ले0-3/सर्जन	जिला चिकित्सालय, बांदा	जिला चिकित्सालय, कन्नौज
5	डा0 भगवती प्रसाद सिंह/ 11436/ले0-3/रेडियोलॉजिस्ट	जिला चिकित्सालय, फतेहपुर	जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती
6	डा0 प्रमोद कुमार/13823/ ले0-2/फिजीशियन	जिला चिकित्सालय, चित्रकूट	जिला चिकित्सालय, महराजगंज

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायें।

स्वानुरोध पर किए गये स्थानान्तरण के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-166/2016/1964(1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर/इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद/फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद/चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/कानपुर मण्डल, कानपुर/ गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ/इलाहाबाद/भदोही।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ/सुल्तानपुर /बांदा/कन्नौज/फतेहपुर/श्रावस्ती/चित्रकूट/महराजगंज।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ/ इलाहाबाद/ भदोही/ सुल्तानपुर/बांदा/ कन्नौज/फतेहपुर/श्रावस्ती/चित्रकूट/महराजगंज
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ/ बांदा/फतेहपुर/ चित्रकूट/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, इलाहाबाद।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे० एल० यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-167/2016/वी0आई0पी0-110/चि0-3-16-टी-1(3)/2016,
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 श्रीकान्त नाथ त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी, (वरि0 क्र0-11009, लेवल-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त कबीर नगर को निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 श्रीकान्त नाथ त्रिपाठी को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित किये जाने के कारण स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-167/2016/वी0आई0पी0-110 (1)/चि0-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती/ गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्त कबीर नगर/ गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सन्त कबीर नगर/गोरखपुर ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्त कबीर नगर)।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव
8